न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—90/2022 तारीख रजु 20.05.2022

जीसीएमएस आई0डी0:—2022/229

राजेन्द्र प्रसाद सैन पुत्र श्री भरोसी लाल आयु 43 साल जाति सैन निवासी खेडा तन जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी राज0

——सायल

बनाम

1. भरोसी लाल पुत्र गिर्राज आयु 70 साल जाति सैन निवासी खेडा तन जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. राजाराम पुत्र दलगंजी आयु 43 साल जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री प्यारेलाल पोहिया वकील सायलान

2. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक 8-५-२०२५

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि खाता संख्या 368 व पुराना संख्या 236 के अनुसार आराजी खसरा न0 1581/582 रकबा 0.17 है0 चाही 1 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है जो भूमि सायल के पिता भरोसी लाल गैरसायल न0 1 की खातेदारी की भूमि है।

उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र सायल व गैरसायल न0 1 के पुरखो की जमीन है जो कि गैरसायल न0 1 को विरासत से प्राप्त हुयी है।

गैरसायल स0 1 सायल के पिताजी है जो काफी बुजुर्ग और उनकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो गयी है, और गैरसायल स0 1 दीगर लोगों के बहकाने में आकर हमारी पुश्तैनी जमीन को दीगर लोगो को बेचना चाहते है।

उक्त आराजीयात में सायल का भी हिस्सा बनता है, गैरसायल स0 1 के द्वारा जमीन को रहनव्यय करने पर उतारू हो रहा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:52 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल न0 1 ने आपसी सहमति से सायल को उसका हिस्सा बाहमी तौर पर बंटवारा करके दे दिया है, सायल का 1/7 हिस्सा है, सायल अपने हिस्से का जमीन पर काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन गैरसायल स0 1 जबरन

भूमि को रहनव्यय करने पर आमदा है और गैरसायल स0 1 को बेचार करने पर आमदा है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है।

बाका दिनांक 15.05.2022 को समय करीब सुबह 8 बजे गैरसायल न0 1 गैरसायल स0 2 को अपने साथ लेकर सायल के हिस्से की जमीन पर आया और सायल की जमीन की बताने लगा तो सायलान ने गैरसायल स0 1 से पूछा कि पिताजी आप राजाराम को हमारे जमीन को बताने क्यों लाये हो तो इस पर गैरसायल स0 1 बोला कि में इस जमीन को बेच रहा हु और तुम इस जमीन को भूल जा, गैरसायल स0 2 लाठी वाला व आदमी वाला है, जो कि लाठी के दम पर तुमको यहा से भगा देगा। सायल ने काफी हाथ जोडी की और कहा कि आप इन जमीनों को मत बेचो यही हमारी रोजी रोटी का सहारा है। आप इसे मत बेचों हम भुखे मर जावेगे। लेकिन गैरसायलान अज खुद नहीं मान रहे है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। गैरसायलान को गणमान्य लोगो से भी समझाया।

उक्त परिस्थितियों में गैरसायल स0 1 को जरिये टी आई पांबद किया जाना आवश्यक है यदि पाबंद नहीं किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सभंव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा संतुलन सायल के ही पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायल स0 1 आराजी खसरा न0 1581/582 रकबा 17 ऐयर वाके जमालपुर तहसील हिण्डौन के किसी भी भाग को गैरसायल स0 2 को या अन्य किसी व्यक्ति को रहन व्यय नहीं करे। सायल को उसके हिस्से को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे। गैरसायल ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकहकूकों सायल को कोई क्षति पहुंचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:52 IST
Reason: SelfAttested

1. मद न0 1 में दावा पेश होना स्वीकार है। लेकिन सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।
2. मद न0 2 में भूमि स्थित होना स्वीकार है। पूर्व में गैरसायल स0 1 की खातेदारी में थी
3. मद न0 3 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है।
4. मद न0 4 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल स0 1 अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति है जो पूर्वतया सोचने, समझने की शक्ति रखता है। दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आने वाली बात मनगंढत दर्ज की है।
5. मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है।
6. मद न0 6 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है।
7. मद न0 7 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है।
8. मद न0 8 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 368 वाके ग्राम जमालपुरा तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायल स0 1 आराजी खसरा न0 1581/582 रकबा 17 ऐयर वाके जमालपुर तहसील हिण्डौन के किसी भी भाग को गैरसायल स0 2 को या अन्य किसी व्यक्ति को रहन व्यय नहीं करे। सायल को उसके हिस्से को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे। गैरसायल ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से कराने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 368 वाके ग्राम जमालपुरा तहसील हिण्डौन में गैरसायलान न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त आराजीयात गैरसायल न0 1 को विरासत से प्राप्त हुयी है। गैरसायल न0 1 सायलान का पिता है। सायलान आराजीयात का विधिक वारिस है। इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:52 IST
Reason: SEWA Attested

स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 20.05.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1581/582 वाके ग्राम जमालपुरा तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 8-4-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 8/4/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:52 IST
Reason: SelfAttested